[1]प्ररूप सं. 49घ

[देखें नियम 114घख]

धारा 285क के अधीन किसी भारतीय समुत्थान द्वारा प्रस्तुत सूचना और दस्तावेज

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

....

....

भाग क

1.	भारतीय समुत्थान का नाम और पता	
2.	प्रास्थिति [क्या कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी/फर्म/स्थायी स्थापन आदि है]	
3.	आवासीय प्रास्थिति	
4.	[2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	
5.	पूर्व वर्ष	
6.	निर्धारण वर्ष	
7.	क्या भारतीय समुत्थान को समूह की ओर से सूचना देने के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है: यदि हां, -- (i) सभी भारतीय समुत्थानों के ब्यौरे दें, जो समूह के घटक हैं: (क) नाम (ख) [2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (ग) पता (ii) यदि सूचना किसी भारतीय समुत्थान की ओर से प्रस्तुत की जा रही है तो ऐसे समुत्थान के ब्यौरे (क) नाम (ख) [2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (ग) पता	हां/नहीं
8.	तुरंत नियंत्री निकाय, मध्यवर्ती नियंत्री निकाय और अंतिम नियंत्री निकाय के ब्यौरे,-- (अ) तुरंत नियंत्री निकाय :-- (क) नाम (ख) निगमन का देश (ग) वह देश, जिसमें वह कर निवासी है (आ) मध्यवर्ती नियंत्री निकाय :-- (क) नाम (ख) निगमन का देश (ग) वह देश, जिसमें वह कर निवासी है	

---

1. आय-कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 28.6.2016 से अंतःस्थापित।
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	(इ) अंतिम नियंत्री निकायः--	
	(क) नाम (ख) निगमन का देश (ग) वह देश, जिसमें वह कर निवासी है	
9.	(क) क्या किसी कंपनी के शेयर या किसी निकाय में हित का मूल्यांकन भारत में अवस्थित आस्तियों के सारवान मूल्यांकन से किया गया है, जिन्हें किसी भारतीय समुत्थान में या उसके माध्यम से धृत किया गया है;	हां/नहीं
	(ख) यदि हां, तो कंपनी (कंपनियों) या निकाय (निकायों) के ब्यौरे दें।	

भाग ख

[प्रबंधन या नियंत्रण अधिकार के अंतरण के पारिणामिक संव्यवहार का रिपोर्ट किए जाने के लिए भरा जाएगा]

10.	क्या 9 में निर्दिष्ट किसी कंपनी या निकाय के शेयर या हित की बाबत किसी संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के प्रबंधन या उस पर नियंत्रण के अधिकार के अंतरण के रूप में हुआ है। यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :--	हां/नहीं
	(i) कंपनी या निकाय का नाम (ii) संव्यवहार के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल है (iii) अंतरक का पता सहित नाम (iv) अंतरित शेयर/हित का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत अंतरण से पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान अंतरक की प्रतिशत धृति है (v) अंतरक का पता सहित ब्यौरा (vi) अंतरण से पूर्व और पश्चात् कंपनी या निकाय में शेयरों या हित के संबंध में धृति ढांचा (vii) कंपनी या निकाय के वित्तीय और लेखांकन विवरण (viii) अंतरित किए जा रहे शेयर या हित के अवस्थान का अवधारण करने का आधार (ix) अंतरण की तारीख से तुरंत पूर्व भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और विभाजन (x) कंपनी या निकाय की आस्तियों के मूल्यांकन का आधार (xi) मद (viii) और मद (x) के संबंध में समर्थनकारी दस्तावेजों के ब्यौरे	

भाग ग

[पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान शेयर/हित के अंतरण के संबंध में सूचना की रिपोर्ट करने के लिए भरा जाना है]

11.	(क) क्या 9 में निर्दिष्ट कंपनी के शेयर या निकाय में हित का पूर्व वर्ष के दौरान अंतरण किया गया है, जिससे आय का धारा 9(1) के उपबंधों के अधीन भारत में उद्भूत हुई समझा गया है। (ख) यदि हां तो ब्यौरें दें :-- (i) कंपनी या निकाय का नाम	हां/नहीं

	(ii) संव्यवहार (संव्यवहारों) के ब्यौरे (iii) अंतरक का नाम सहित पता (iv) अंतरित किए जा रहे शेयर/हित का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत अंतरण के पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान अंतरक का धृति प्रतिशत है (v) कंपनी या निकाय की कुल आस्तियों का मूल्य (vi) अंतरिती का पता सहित ब्यौरा	
12.	क्या 9 में निर्दिष्ट किसी कंपनी या निकाय के शेयर या हित की बाबत किसी संव्यवहार का प्रभाव भारतीय समुत्थान के प्रबंधन या उस पर नियंत्रण के अधिकार के अंतरण के रूप में हुआ है, यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें :-- (i) कंपनी या निकाय का नाम (ii) संव्यवहार के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत प्रतिफल है (iii) अंतरक का नाम सहित पता (iv) अंतरित शेयर/हित का प्रतिशत, जिसके अंतर्गत अंतरण से पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि के दौरान अंतरक की प्रतिशत धृति है (v) अंतरक का पता सहित ब्यौरा (vi) क्या संव्यवहार के संबंध में प्ररूप 49घ प्रस्तुत किया गया था यदि हां, तो प्ररूप 49घ प्रस्तुत करने की तारीख ....../....../......... यदि नहीं,-- (क) प्ररूप 49घ न प्रस्तुत करने के कारण (ख) निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें: (i) अंतरण से पूर्व और पश्चात् कंपनी या निकाय में शेयरों या हित के संबंध में धृति चार्ट (ii) कंपनी या निकाय के वित्तीय और लेखांकन विवरण (iii) कंपनी या निकाय के शेयर या हित के अवस्थान का अवधारण करने का आधार (iv) अंतरण की तारीख से तुरंत पूर्व भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और विभाजन	हां/नहीं
13.	भारतीय समुत्थान की आस्तियों का मूल्य और विभाजन,- (i) वर्ष के आरंभ में (ii) वर्ष के अंत में	
14.	मद 11(v), मद 12(ख)(iii), और (iv) और 13 मे रखी गई संपत्तियों के मुल्यांकन के आधार	
15.	मद 11(v), मद 12(ख)(iii), मद (iv) और मद 13 के संबंध में समर्थनकारी दस्तावेजों के ब्यौरे	

सत्यापन

मैं, ... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) .... पुत्र/पुत्री श्री .... उपरोक्त वर्णित भारतीय समुत्थान की ओर से जिसका [2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] .... है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रप में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें उपदर्शित अन्य विशिष्टियां सत्य कथित की गई हैं। मैं यह और घोषण करता हूं कि मैं इस प्रप को .... की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूं और में यह प्रस्तुति करने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूं।

आज .... तारीख को सत्यापित।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम ....

---

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।